न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 32/2024

1 हीरालाल पुत्र नारायण।
2 नेमीचन्द पुत्र नोपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 घासीराम मृतक।
1/1 गिरधारी पुत्र घीसाराम।
1/2 गोपाल पुत्र घीसाराम।
1/3 मदनलाल पुत्र घीसाराम।
1/4 नारायणी देवी बेवा घीसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
2 अर्जुनसिंह पुत्र नारायण।
3 ज्ञानी देवी बेवा नोपाराम।
4 मन्नी देवी पुत्री नोपाराम।
5 सन्तोष पुत्री नोपाराम।
6 शारदा पुत्री नोपाराम।
7 सुशीला पुत्री नोपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
8 बनारसी देवी मृतक।
8/1 बाबुलाल पुत्र बन्शी।
8/2 रूड़ी देवी पुत्री बन्शी समस्त जाति योगी निवासीगण कानपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 श्रवण कुमार पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

10 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नागवा तहसील धोद जिला सीकर।

11 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोद तहसील धोद जिला सीकर।

12 तहसीलदार धोद तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 12.02.2024
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
बउनवानी घीसाराम बनाम अर्जुनसिंह प्रकरण संख्या
37/2017 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री बजरंगलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.4.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 37/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/ आवेदक द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके कब्जे, काश्त, अधिकार, खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 1.75 हैक्टर वाके ग्राम रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके दक्षिण दिशा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 2.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 150 रकबा 2.21 हैक्टर अवस्थित है, जिनको अनावेदकगण ने मौका पर बाहमी विभाजन के अनुसार विभाजित कर रखी है तथा खसरा नम्बर 150 पर अनावेदक संख्या 9/रेस्पोडेन्ट संख्या 8 हिस्सानुसार काबिज है। खसरा नम्बर 149 व 150 की दक्षिणी सींव के सहारे पूर्व पश्चिमी कटानी आम रास्ता है। तथा आवेदक/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके परिवारजनों का खसरा नम्बर 149 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे कृषिभूमि मे काश्त करने हेतु ऋतु अनुसार आवागमन होता रहता है परन्तु आवेदक अपनी उक्त कृषिभूमि मे ट्रेक्टर आदि नही लेकर जा सकता है तथा कोई बारहमासी रास्ता कभी चलन मे नही रहा है तथा आवेदक को अपनी उक्त कृषि भूमि में आवागमन करने, पशुधन लाने ले जाने एवं कृषि यंत्र ट्रेक्टर, ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए 15 फिट चौडा रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 149 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे उत्तर दिशा की ओर आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 157 की दक्षिणी सीमा तक दिलवाया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने सुनवाई अपील उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा इस न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तस्दीक किया गया। उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा अपीलाधीन आवेदन संख्या 37/2017/अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट उनवानी घीसाराम बनाम अर्जुनसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 को भूमि खसरा नम्बर 157 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 149 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता कायम किये जाने निमित पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 को उक्त रास्ता कायम किये जाने की सीमा तक यथावत रखा जावे परन्तु रास्ते की एवज में डी.एल.सी. राशि की दोगुनी राशि बाबत पारित निर्णय की सीमा तक निर्णय को संसोधित किया जाकर उसकी एवज में निर्णय में अंकित तहसीलदार धोद के पत्रांक/राजस्व/18/550 दिनांकित 25.05.2018 के बिन्दु संख्या 5 में रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिये जाने की अवस्था में प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 157 में से दक्षिणी दिशा में प्रस्तावित की गई 672 वर्गफीट भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नम्बर 149 के सहखातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 द्वारा तहसीलदार धोद के समक्ष रास्ते की एवज में जमा करवायी गयी डी.डी. राशि पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 को लौटाये जाने बाबत आदेश पारित करने का अनुतोष चाहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षो ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उभयपक्षों को पढ़कर सुनाया गया। जिसे उभयपक्षों ने सही होना स्वीकार किया। इस पर यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। उभयपक्षों के राजीनामे के दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय की पालना में खसरा नम्बर 149 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उतर से दक्षिण तक 15 फिट चौड़ा (0.0672 हैक्टेयर) भूमि में रास्ते का अंकन जो खसरा नम्बर 157 के लिये किया गया है। इसे राजस्व रिकार्ड व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौके पर यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक राजीनामा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 149 में रास्ते के रूप में दी गई भूमि 0.0672 हैक्टेयर भूमि के बदले रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 157 की लगती हुई 672 वर्गमीटर भूमि रेस्पोडेंट के खाता संख्या 157 में से कम की जाकर अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय की पालना में रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4 द्वारा रास्ते के लिये जमा कराई गई प्रतिकर राशि रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4 को लौटाये जाने के लिये तहसील कार्यालय को निर्देशित किया जाता है। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी

(बलदेवराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर